संख्या–   /02–XXVI–2004टीसी

प्रेषक,

एल0फनई,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अर्थ एवं संख्या निदेशालय,
उत्तरांचल, देहरादून।

नियोजन अनुभाग।   देहरादून: दिनांक: 07 फरवरी, 2005

विषय:– अनुदान संख्या–07 के लेखाशीर्षक संख्या– 3454–के अन्तर्गत के विभिन्न मदों में वित्तीय वर्ष 2004–05 के लिए पुर्नविनियोग के माध्यम से अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक संख्या–2221/ले0पुन0/2004–05 दिनांक 27 जनवरी ,2005 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2004–05 में अर्थ एवं संख्या निदेशालय हेतु 02 मजदूरी, 03– महंगाई भत्ता, 07–मानदेय, तथा 16– व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं हेतु भुगतान मदों में संलग्न बी0एम0–15 के अनुसार बचतों से व्यावर्तित करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 में रूपये 28,93,000.00 (रू0 अठाइस लाख तिरानब्बे हजार मात्र) की धनराशि श्री राज्यपाल आपके निवर्तन पर रखते हुए व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करते हैं–

1– उक्त धनराशि केवल उन्हीं मदों पर व्यय की जायेगी जिनके लिए यह स्वीकृत की जा रही है। चालू योजना पर ही व्यय किया जाय और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नई मदों के कियान्वयन के लिए नहीं किया जायेगा।

2– स्वीकृत कार्यो पर व्यय करते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, स्टोर पर्चेज रूल्स एवं मितव्ययता के संबंध शासन द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों का पालन कड़ाई से किया जायेगा। टेलीफोन मद मितव्ययता की मद है । अतः इसमें विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।

3– यह सुनिश्चित किया जाय कि स्वीकृति धनराशि किसी ऐसी मद पर व्यय नहीं किया जाय जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो, उस प्रकरण में व्यय के पूर्व यह प्राप्त कर ली जाय।

4– स्वीकृत की जा रही धनराशि का एकमुश्त आहरण न करके यथा आवश्यकता अनुसार ही व्यय किया जायेगा तथा व्यय का विवरण यथासमय प्रत्येक माह बी0एम0–13 पर शासन को उपलब्ध कराया जाय।

5– यह सुनिश्चित किया जाय कि शासन द्वारा उपरोक्त निर्देशों के अतिरिक्त इस संबंध में अब तक जारी शासनादेशों का अनुपालन अधीनस्थ तक भी सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

6– उक्त मदों में कुछ मदें मितव्ययता की मद है इसमें व्यय सीमित रखते हुए कटौती किये जाने का प्रयास किया जाय ।

7– इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–07 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–3454–जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी–02–सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी–आयोजनेत्तर–001–निदेशन तथा प्रशासन–03–अर्थ एवं संख्या अधिष्ठान–00–संलग्नक के कालम1–5 में उल्लिखित सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

8- यह स्वीकृति वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-228/वि0अनु0-3/2004 दिनांक 05 फरवरी, 2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(एल0 फैनई)
अपर सचिव।

संख्या- 19 /02-XXVI-2004टीसी,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उत्तरांचल, ओबराय बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, देहरादून।
2- वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
3- वित्त अनुभाग-3, उत्तरांचल शासन।
4- सामनायक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र,सचिवालय परिसर, देहरादून ।
5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(टीकम सिंह पंवार)
संयुक्त सचिव।